सत्यमेव जयते

भारत सरकार
और
स्वीडन किंगडम सरकार के बीच
विमान सेवा करार

भारत सरकार और स्वीडन किंगडम सरकार

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय तथा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा पारगमन करार से संबंधित पक्ष है, और

जो अपने-अपने क्षेत्रों के बीच अनुसूचित विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त अभिसमय से एकरूपता रखते हुए एक करार करने के इच्छुक हैं,

निम्नलिखित के संबंध में सहमत हुए हैं ।

अनुच्छेद-I
परिभाषा

इस करार के प्रयोजन के लिए :

क) "अभिसमय" पद से अभिप्राय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है, और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत स्वीकृत कोई भी अनुबंध तथा अनुच्छेद 90 और 94 के अंतर्गत पारित अनुबंध में किया गया कोई भी संशोधन शामिल है जोकि दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिये गये हों ।

ख) "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का आशय भारत सरकार के मामले में नागर विमानन महानिदेशक तथा स्वीडन किंगडम सरकार के मामले में स्वीडिश नागर विमानन प्रशासन अथवा दोनों मामलों में ऐसा कोई भी व्यक्ति या निकाय जिसे उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।

सत्यमेव जयते

§ग§ "नामित विमान कम्पनी" पद से अभिप्राय ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित किया गया हो ।

§घ§ "भू-भाग", "हवाई सेवा", "अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा", "विमान कम्पनी" और "यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए रूकना" पदों का अर्थ वही है जो कि अभिसमय के अनुच्छेद 2 और 96 में निर्धारित किया गया है ।

§ड.§ "अनुबंध" का अर्थ है इस करार का अनुबंध अथवा इस करार के अनुच्छेद 17 के पैराग्राफ §2§ के प्रावधानों के अनुसार यथासंशोधित अनुबंध इस करार का अभिन्न अंग है तथा इस करार के सभी संदर्भों में अनुबंध के संदर्भ भी शामिल होंगे जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो ।

§च§ टैरिफ शब्द का अभिप्राय यात्रियों, सामान और माल के वहन के लिए अदा किये जाने वाले मूल्यों तथा उन शर्तों से है, जिनके अंतर्गत वे मूल्य लागू होते हैं जिनमें एजेंसी और अन्य अनुषंगी सेवाओं के मूल्य और शर्तें शामिल हैं परन्तु डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक अथवा शर्तें शामिल नहीं है ।

अनुच्छेद - 2

यातायात अधिकार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को नामित विमान कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित अधिकार मंजूर करता है :-

§क§ बिना उतरे हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ान,

§ख§ यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए उक्त भू-भाग में रूकना, और

§ग§ उक्त भू-भाग में, इस करार के अनुबंध में विनिर्दिष्ट स्थानों पर यात्रियों, कार्गो तथा डाक को अलग-अलग अथवा मिले-जुले रूप में अंतरराष्ट्रीय यातायात पर चढ़ाने अथवा उतारने के लिए रूकना ।

सत्यमेव जयते

2• इस अनुच्छेद के पैरा §1§ में किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी भी संविदाकारी पक्ष की विमान कंपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पारिश्रमिक अथवा भाड़े के लिए वाहित और उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किसी अन्य स्थान को जाने के लिए निर्धारित यात्रियों, कार्गो और डाक को विमान में चढ़ाने का प्राधिकार मिल गया है ।

अनुच्छेद - 3
एयरलाइनों को नामित करना

1• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं का प्रचालन करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप से सूचित करते हुए एक विमान कंपनी नामित करने का अधिकार होगा ।

2• ऐसा नामांकन प्राप्त हो जाने पर दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §3§ और §4§ के उपबंधों के अधीन रहते हुए बिना विलंब के नामित विमान कंपनी को उपयुक्त प्रचालन प्राधिकार मंजूर करेगा ।

3• एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि वह उन्हें आश्वस्त करे कि वह उन कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य हैं जो ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप सामान्यतः और उचित रूप से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के संबंध में लागू होते हैं ।

4• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, ऐसे किसी भी मामलों में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §2§ में उल्लिखित प्रचालन अधिकार मंजूर करने से मना करने अथवा किसी भी नामित विमान कंपनी द्वारा इस करार के अनुच्छेद-2 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे जिनमें उक्त संविदाकारी पक्ष इस बारे में आश्वस्त नहीं हो कि उस विमान कंपनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण विमान कंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित है ।

5• जब कोई एयरलाइन इस प्रकार से नामित और प्राधिकृत कर दी गयी है, तब वह सम्मत सेवाओं का प्रचालन करना आरंभ कर सकती है, बशर्ते कि इस करार के अनुच्छेद के

सत्यमेव जयते

प्रावधानों के अनुसार स्थापित टैरिफ इन सेवाओं के संबंध में लागू हो और अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया हो । इसके साथ ही, सम्मत सेवाओं के प्रचालन से संबंधित अन्य संबद्ध सूचना भी भेजी जाएगी । इसमें ऐसी सूचना भी शामिल होगी जो कि वैमानिकी प्राधिकारियों को यह आश्वस्त करने के लिए आवश्यक हो कि करार की अपेक्षाओं का विधिवत पालन किया जा रहा है ।

अनुच्छेद - 4
शर्तों का प्रतिसंहरण, निलंबन और अधिरोपण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को प्रचालन प्राधिकार प्रतिसंहृत करने अथवा अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकम्पनी द्वारा इस करार के अनुच्छेद -2 में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग को रोक देने अथवा ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जिन्हें इन अधिकारों के प्रयोग के संबंधों में वह आवश्यक समझे :-

(क) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह आश्वस्त नहीं हो कि उस विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण, विमान कम्पनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या ऐसे संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित है, अथवा

(ख) यदि वह विमान कंपनी इन अधिकारों को मंजूर करने वाले संविदाकारी पक्षों के कानूनों या विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहती है, अथवा

(ग) यदि वह विमान कंपनी इस करार के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रचालन में असफल रहती है।

2. जब तक कानूनों या विनियमों का और आगे उल्लंघन रोकने के लिए इन अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार का तत्काल प्रतिसंहरण या निलंबन अथवा उसमें शर्तों का अधिरोपण अनिवार्य न हो, ऐसे अधिकार का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही किया जायेगा ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-5
विमानपत्तनों और सुविधाओं का उपयोग

1. किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में विमानपत्तन अथवा अन्य विमानन सुविधाओं के प्रयोग के लिए अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान पर लगाए गए प्रभार, उसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के विमानों पर लगाए गए प्रभारों से अधिक नहीं होंगे ।

2. कोई भी संविदाकारी पक्ष अपने सीमा-शुल्क, आप्रवासन, गारंटाइन और ऐसे ही विनियमों को लागू करने में अथवा विमानपत्तन, हवाई मार्ग और इसके नियंत्रणाधीन अन्य सुविधाओं का प्रयोग करने में अपनी स्वयं की अथवा किसी अन्य विमान कंपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी की तुलना में प्राथमिकता नहीं देगा ।

अनुच्छेद - 6
सीमा-शुल्क तथा अन्य प्रभारों से छूट

1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं पर प्रचालित विमान तथा विमान में रखे गए उनके नियमित उपस्कर, ईंधन और स्नेहक की सप्लाई तथा विमान भंडार, {खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ तथा तम्बाकू सहित} सीमा शुल्क से मुक्त रहेंगे । दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पहुँचने पर, निरीक्षण शुल्क ओर महसूल अथवा कर वशर्ते कि विमान में ऐसे उपस्कर, आपूर्ति तथा चाहे जब तक उनका पुनःनिर्यात किया जाना हो ।

2. प्रदत्त सेवाओं से संबंधित प्रभारों को छोड़कर, इसी प्रकार की ड्यूटी {महसूली} और प्रभारों से छूट प्रदान की जाएगी :-

{क} अन्य संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में विमान में लिए गए विमान भंडार, संबंधित संविदाकारी पक्ष के अधिकारियों द्वारा नियत सीमाओं के भीतर और जिसका उपयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष की अंतरराष्ट्रीय सेवा में प्रचालित विमान के लिये किया गया हो,

{ख} दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सेवा में प्रचालित विमानों की मरम्मत अथवा रख-रखाव के लिए किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में

सत्यमेव जयते

प्रयोग के लिए ले जाए गए अतिरिक्त पुर्जे,

§ग§ अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में प्रचालित विमान में आपूरित किए जाने वाले ईंधन और स्नेहक, चाहे इनका उपयोग संविदाकारी पक्ष के उस भू-भाग में की गई यात्रा के उस भाग में किया जाना हो, जहां इन्हें विमान में चढ़ाया गया हो ।

उपरोक्त उप पैराग्राफ §क§,§ख§, और §ग§ में दर्शाई सामग्री सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की निगरानी अथवा नियंत्रण में रहेगी ।

अनुच्छेद - 7
एयरबोर्न उपकरणों और आपूर्तियों का भंडारण

किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा वाहित उपस्कर और विमान में रखी गई सामग्री और सप्लाई को केवल दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उस भू-भाग के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से ही उतारा जा सकता है । ऐसे मामलों में, उन्हें तब तक संबंधित प्राधिकारियों की निगरानी में रखा जा सकेगा जब तक उनका पुनःनिर्यात नहीं किया जाता अथवा सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार इनका निपटान नहीं कर दिया जाता ।

अनुच्छेद - 8
प्रवेश क्लियरेंस विनियम

किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में मार्गस्थ यात्री केवल अत्यधिक सरलीकृत सीमा-शुल्क और आप्रवासन नियंत्रण के अध्यधीन होंगे । सीधे मार्गस्थ होने पर सामान और कार्गो पर सीमा-शुल्क ड्यूटी और ऐसे ही अन्य कर नहीं लगाए जाएंगे ।

अनुच्छेद - 9
क्षमता प्रावधान

1. संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों द्वारा प्रचालित सम्मत सेवाओं में दोनों संविदाकारी पक्षों के भू-भागों के मध्य यातायात अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यथोचित भार-गुणक

सत्यमेव जयते

के सथ क्षमता का प्रावधान उनका प्राथमिक उद्देश्य होगा ।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों को अपने-अपने भू-भाग में सम्मत सेवाएं प्रचालित करने हेतु अच्छा और समान अवसर प्रदान करेगा ताकि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच सिद्धांत रूप में कुल क्षमता की समान भागीदारी से समानता और परस्पर लाभ प्राप्त किया जा सके ।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष और इनकी नामित विमान कंपनियां दूसरे संविदाकारी पक्ष और उसकी नामित विमान कंपनी के हितों का ध्यान इस प्रकार रखेगी जिससे कि दूसरे द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर अनपेक्षित प्रभाव न पड़े ।

4. नामित विमान कंपनियों का अच्छा और समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए विमान कंपनियां अपनी अनुसूचित सेवाओं की आवृत्तियां, प्रयोग किए जाने वाले विमानों के प्रकार तथा उड़ान अनुसूचियां और प्रचालन के दिनों के साथ-साथ आगमन और प्रस्थान के अनुमानित समय के बारे में भी पहले से ही सहमति कर लेंगे ।

यदि नामित विमान कंपनियों के बीच सहमति नहीं हो पाती है तो दोनों नामित विमान कंपनियों के वैमानिकी प्राधिकारी, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी परस्पर सहमति से मामले को निपटाएंगे ।

5. यदि पुनरीक्षा करने पर, संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी सम्मत सेवाओं पर लगाई जाने वाली क्षमता के बारे में सहमत नहीं हो पाते तो संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों द्वारा लगाई जाने वाली क्षमता पहले सम्मत कुल क्षमता (सामयिक परिवर्तनों सहित) से अधिक नहीं होगी ।

अनुच्छेद - 10
टैरिफ

1. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा अन्य संविदाकारी पक्ष के भू-भाग या तक वहन के लिए वसूल किये जाने वाले टैरिफ समुचित स्तरों पर निर्धारित किये जाएंगे जिसमें प्रचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य एयरलाइनों के टैरिफ सहित सभी संगत

सत्यमेव जयते

पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा ।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ﴾1﴿ में निर्दिष्ट टैरिफ, यदि संभव हो तो नामित विमानकंपनियों द्वारा उस पूरे मार्ग या मार्ग के कुछ भाग पर प्रचालन कर रही अन्य विमानकंपनियों के साथ विचार विमर्श करके तय किया जाएगा तथा जहां भी संभव हो, ऐसी सहमति अयाटा की टैरिफ निकालने की प्रविधि के प्रयोग से की जाएगी ।

3. इस प्रकार सम्मत टैरिफ उनके लागू किये जाने की प्रस्तावित तारीख से कम-से-कम साठ﴾60﴿ दिन पहले संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे। विशेष मामलों में उक्त प्राधिकारियों की सहमति से यह अवधि कम भी की जा सकती है।

4. यह अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जाए । यदि किसी भी वैमानिकी प्राधिकारी ने इस अनुच्छेद के पैराग्राफ﴾3﴿ के अनुसार प्रस्तुत किए जाने के तीस﴾30﴿ दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त न की तो इन टैरिफों को अनुमोदित हुआ मान लिया जाएगा । पैरा ﴾3﴿ में किए गए प्रावधान के अनुसार यदि प्रस्तुतीकरण की अवधि को कम किया जाता है तो वैमानिकी प्राधिकारी आपस में इस बारे में सहमत हो सकते हैं कि वह अवधि तीस ﴾30﴿ दिनों से कम होगी जिसमें अस्वीकृति अवश्य अधिसूचित कर दी जानी चाहिए ।

5. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ﴾2﴿ के अनुसार टैरिफ तय नहीं हो पाता अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ﴾4﴿ के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे वैमानिकी प्राधिकारी को पैराग्राफ ﴾2﴿ के प्रावधानों के अनुसार तय टैरिफ की अस्वीकृत का नोटिस देता है तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी परस्पर सहमति से टैरिफ तय करने का प्रयास करेंगे ।

6. यदि वैमानिकी प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ﴾3﴿ के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किसी टैरिफ पर अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ﴾5﴿ के अंतर्गत किसी टैरिफ के निर्धारण पर सहमत नहीं हो सकते तो यह विवाद इस करार के अनुच्छेद19 के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा।

7. इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक नये टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता। तथापि, इस पैराग्राफ के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह महीनों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता है।

अनुच्छेद-11
उपार्जन का हस्तांतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को, प्रथम संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में व्यय से अधिक अर्जित आय को अपने मुख्यालय को प्रेषित करने का अधिकार प्रदान करता है । तथापि, ऐसे प्रेषण किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में किये जायेंगे और वे उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमों के अध्यधीन रहते हुए तथा इन विनियमों के

सत्यमेव जयते

अनुसार होंगे जिसके भू-भाग में यह राजस्व अर्जित किया गया हो ।

2. इस प्रकार का अन्तरण मुद्रा भुगतान की सरकारी विनिमय दर पर किया जाएगा अथवा जहां कोई सरकारी विनिमय दर न हो, मुद्रा भुगतान के लिए अन्तरण प्रवृत्त विदेशी मुद्रा मार्किट दरों पर किया जाएगा ।

3. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उसके सर्वाधिक हितैषी देश की नामित विमान कंपनी§कंपनियों§ के साथ किए गए व्यवहार से कम अनुकूल व्यवहार नहीं दिया जाएगा ।

4. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान के निपटान के लिए कोई विशेष प्रबंध किए गए हों, तब इस अनुच्छेद के पैरा §1§ के अंतर्गत निधियों के अंतरण के लिए ऐसे प्रबंध के उपबंध लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 12
आंकड़ों की व्यवस्था

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी द्वारा अपनी-अपनी नामित विमान कंपनी§विमानकंपनियों§ को अन्य संविदाकारी पक्ष के नामित वैमानिकी प्राधिकारियों को उक्त अन्य संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के लिए व वहां से सम्मत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े देने के लिए कहा जाएगा जिसमें यात्रा आरंभ होने तथा गंतव्य के देशों और ऐसे यातायात के उतरने और चढ़ने के स्थलों का उल्लेख किया गया हो । इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद - 13
एयरलाइन प्रतिनिधित्व

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को पारस्परिकता के आधार पर अपने भू-भाग में, संबंधित नामित विमान कंपनी की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यकतानुसार कार्यालय तथा प्रशासनिक, वाणिज्यिक और तकनीकी व्यक्तियों को रखने का अधिकार प्रदान करता है ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद - 14
समय-सारणी का अनुमोदन

1\. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को प्रचालन शुरू होने में कम-से-कम तीस§30§ दिन पहले अपने यातायात कार्यक्रम का अनुमोदन प्रस्तुत करेगा । कार्यक्रम में समय-सारणी, सेवा की आवृत्तियां और उपयोग किए जाने वाले विमानों की किस्में शामिल होंगी ।

2\. बाद में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की सूचना वैमानिकी प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी ।

अनुच्छेद - 15
विमानन सुरक्षा

1\. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरूद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है । अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना संविदाकारी पक्ष 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित, विमान में किये गए अपराधों एवं कुछ अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण निवारण अभिसमय और 23 सितम्बर, 1971 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा के विरूद्ध गैर-कानूनी कार्रवाई उन्मूलन अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे ।

2\. अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किए जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कर्मीदल, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध किसी अन्य धमकी के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3\. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा

सत्यमेव जयते

उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक वे इन पक्षों पर लागू होते हैं, वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान प्रचालकों जिनके कारोबार का अपना प्रमुख स्थान अथवा स्थायी आवास उनके भू-भाग में है तथा उनके क्षेत्र में हवाई अड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे ।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात से सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश और वहां से प्रस्थान करते समय या उसमें रहते समय अपेक्षित ऊपर पैराग्राफ (3) में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके भू-भाग में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार विमान में ले जाए जाने या लादने से पूर्व तथा उसके दौरान उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा किये गये अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा ।

5. जब कभी किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण की धमकी या इस प्रकार की धमकी की घटना होती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध कोई गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो संविदाकारी पक्ष एक दूसरे को संचार सुविधाएं प्रदान करेंगे और इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरंत और सुरक्षापूर्वक समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे ।

अनुच्छेद - 16
विचार-विमर्श

1. निकट सहयोग की भावना से संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी इस करार उपबंधों तथा इसके साथ संलग्न अनुसूचियों के संतोषजनक कार्यान्वयन एवं अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय-समय पर आपस में परामर्श करेंगे ।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष परामर्श के लिए अनुरोध कर सकता है जोकि विचार-विमर्श अथवा पत्राचार द्वारा हो सकता है और ऐसा परामर्श अनुरोध प्राप्ति की तारीख से

सत्यमेव जयते

नब्बे(90) दिन की अवधि के भीतर शुरू हो जाएगा वशर्ते कि दोनों संविदाकारी पक्ष इस अवधि को बढ़ाने के लिए सहमत न हों ।

अनुच्छेद - 17
संशोधन

1. यदि कोई भी संविदाकारी पक्ष इस करार के किसी प्रावधान में संशोधन करना चाहता है तो वह दूसरे पक्ष से परामर्श के लिए अनुरोध कर सकता है । ऐसा परामर्श जो वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच हो सकता है और विचार-विमर्श या पत्राचार द्वारा हो सकता है और यह अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से नब्बे(90) दिन की अवधि में आरंभ किया जाएगा वशर्ते कि दोनों संविदाकारी पक्ष इस अवधि को बढ़ाने में सहमत न हों । इस प्रकार से सहमत कोई भी संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों की संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदित होने पर तथा राजनयिक वक्तव्यों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि होने पर प्रभाव में आएगा ।

2. इस करार का अनुबंध संबंधी संशोधन संविदाकारी पक्षों के सक्षम वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ सीधे करार द्वारा किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 18
बहुपक्षीय अभिसमय के साथ एकरूपता

इस करार और इसके अनुबंध को किसी भी बहुपक्षीय अभिसमय के साथ एकरूपता में लाने के लिए संशोधन किया जाएगा जो दोनों संविदाकारी पक्षों को बाध्य होगा ।

अनुच्छेद - 19
विवादों का निपटान

1. यदि इस करार के निर्वचन अथवा प्रवर्तन के संबंध में संविदाकारी पक्षों के बीच कोई विवाद पैदा होता है तो संविदाकारी पक्षों की सरकार सबसे पहले बातचीत द्वारा इसके समाधान का प्रयास करेंगी ।

2. यदि संविदाकारी पक्ष बातचीत द्वारा समझौता करने में असमर्थ रहते हैं तो वे परस्पर

सत्यमेव जयते

सहमति से विवाद को निर्णय के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को निर्दिष्ट कर सकते हैं । यदि वे इसके लिए सहमत न हों तो दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर विवाद निर्णय के लिए तीन विवाचकों के एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाएगा, जिनमें से एक-एक विवाचक का नामांकन संविदाकारी पक्षों द्वारा किया जाएगा तथा तीसरा विवाचक इन दोनों विवाचकों द्वारा स्वयं नियुक्त किया जाएगा । तीसरा विवाचक विवाचकीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा । दोनों संविदाकारी पक्षों में से किसी एक को दूसरे की ओर से विवाद के उक्त प्रकार के न्यायाधिकरण द्वारा विवाचन की मांग का राजनयिक माध्यम से नोटिस प्राप्त होने की तारीख से साठ(60) दिन के भीतर प्रत्येक पक्ष अपने-अपने विवाचक को नामजद कर देगा और तीसरा विवाचक इसके बाद अगले साठ(60) दिनों के भीतर नियुक्त किया जाएगा । यदि संविदाकारी पक्षों में से कोई भी निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विवाचक का नामांकन नहीं कर पाता अथवा तीसरे विवाचक की निर्दिष्ट अवधि के भीतर नियुक्ति नहीं की जाती तो कोई भी संविदाकारी पक्ष अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अध्यक्ष से विवाचक अथवा विवाचकों, जैसा भी अपेक्षित हो की नियुक्ति का अनुरोध कर सकता है । इस परिस्थिति में तीसरा विवाचक दोनों संविदाकारी पक्षों में से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं होगा तथा वह विवाचकीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

3. विवाचन न्यायाधिकरण अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करेगा और विवाचन से संबंधित लागत के विभाजन पर निर्णय लेगा ।

4. संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैरा (2) के अधीन लिए गए निर्णय का पालन करेंगे।

अनुच्छेद - 20
समाप्त करना

कोई भी संविदाकारी पक्ष कभी भी दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार को समाप्त करने की अपनी इच्छा के बारे में लिखित रूप से नोटिस दे सकता है । ऐसा नोटिस साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा । ऐसे मामले में यह करार दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बारह(12) माह पश्चात् समाप्त होगा बशर्ते कि इस अवधि के समाप्त होने से पहले करार द्वारा नोटिस को समाप्त नहीं किया जाता । दूसरे

सत्यमेव जयते

संविदाकारी पक्ष द्वारा पावती न मिलने की स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा इस नोटिस की प्राप्ति के चौदह (14) दिन पश्चात् यह नोटिस प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा ।

अनुच्छेद-21

पंजीकरण

यह करार और इसके अनुबंध तथा कोई भी अनुवर्ती संशोधन अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत किया जाएगा।

अनुच्छेद-22

प्रवर्तन में आना

यह करार इसके आद्याक्षर होने की तारीख से अस्थायी रूप से और निश्चित रूप से उस तारीख को प्रवर्तन में आएगा जब संविदाकारी पक्ष टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा एक दूसरे को सूचित करें कि इस करार को प्रवर्तन में लाने के लिए संविदाकारी पक्षों की संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। निश्चित रूप से प्रवर्तन में लाने के लिए यह 21 मई, 1948 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हवाई सेवा से संबंधित स्वीडन सरकार और भारत सरकार के बीच करार का अतिक्रमण करेगा ।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने पर इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

दिनांक 19.12.1995 को नई दिल्ली में हिन्दी, स्वीडिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए। यदि इसके निर्वचन में कोई मतभेद हो तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते भारत सरकार

(बृजेश कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

कृते स्वीडन किंगडम सरकार

Peter Ekelund

(पीटर एकेलौंद)
मंत्री
आर्थिक और वाणिज्यिक कार्य
कार्यदूत